Annexure 1 / अनुबंध 1 मूलभूत नियम एवं शर्तें

एमएससीएस अधिनियम के प्रावधानों, उसके तहत नियमों और सोसायटी के उपनियमों के अलावा, सदस्यता प्राप्ति पर निम्नलिखित नियम व शर्तें लागु होंगी

Apart from the provisions of the MSCS Act, Rules thereunder and the Bye-laws of the Society, the membership shall be governed by the following terms and conditions

1. मात्र यह प्रपत्र भरकर सदस्यता के लिए आवेदन करने से सद्स्यता की गारंटी नहीं मिलती। निर्धारित सद्स्यता शुल्क जमा किए जाने पर, मिशन रीव द्वारा उपयुक्त स्तर पर स्वीकृति प्रदान की जाएगी।

   That merely applying for membership by filling the form does not guarantee the membership until prescribed membership fee is deposited and approval is conveyed by the Team Mission RIEV at appropriate level.

2. इस सदस्यता के साथ, प्राथमिक सदस्य को वित्तीय सेवाओं को छोड़कर, जो केवल प्राथमिक सदस्य के लिए लागू होती हैं, विभिन्न सेवाओं का लाभ उठाने के लिए सोसायटी के ऑनलाइन पोर्टल में स्वैच्छिक सदस्यों के रूप में पति/पत्नी, बच्चों और माता-पिता सहित परिवार के अन्य सदस्यों को जोड़ने का विशेषाधिकार होगा)। विवाहित पुत्र या पुत्री के परिवार को अलग परिवार माना जाएगा।

   With this membership, the Primary Member shall have the privilege to add the other family members comprising spouse, children & parents as Voluntary Members in the online portal of the Society for availing different services excluding financial services which are applicable only for the Primary Member). Family of the married son or daughter shall be considered as separate family.

3. यह सदस्यता स्वयं ही सभी नियमों, शर्तों का पालन करने और मिशन व इसके संचालन की प्रक्रियाओं के लिए सदस्यों की ओर से स्वीकृति की पुष्टि है।

   That the membership itself is the confirmation of the member to abide by all the terms, conditions and procedures of the Mission and its operations.

4. सदस्य को कभी भी समय-सीमा के भीतर उपलब्ध ज्ञानात्मक, सूचनात्मक, कौषलात्मक तथा तकनीक आधारित विभिन्न सेवाओं का लाभ उठाने का विषेषाधिकार होगा और यह निर्धारित दरों के अनुसार ”पहले आओ-पहले पाओ“ आधार पर होगा।

   That the member shall have privilege to avail various services pertaining to knowledge, information, skills and technology available at any point of time within the service framework of Mission and shall be on "First Come First Serve" basis & applicable charges.

5. प्राथमिक सदस्यता आवेदन निर्धारित शुल्क 2,000/-(केवल दो हजार रुपये) के साथ जमा होगा जिसमे मात्र एक हजार रुपये प्रवेश शुल्क के रूप में तथा मात्र एक हजार रुपये शेयर पूँजी के रूप में देय होंगे

   That the membership application will have to be deposited with requisite fee of Rs. 2000/- (Rs. Two Thousand Only) which includes rs. 1000/- as admission fee and Rs. 1000/- as subscription for One Share.

6. इस सदस्यता के अंतर्गत कई प्रकार की सेवाएं परिवार के सभी सदस्यों को, जिनका विवरण ऑनलाइन सदस्यता फॉर्म में उपलब्ध हो, आवश्यकता आकलन के अनुसार उपलब्ध होंगी जबकि वित्तीय सेवाएं, जब भी लागू हों, मात्र पंजीकृत प्राथमिक सदस्य के लिए ही उपलब्ध होंगी।

That the services under this membership shall be available for all family members enrolled in the online form as per their need, however, the financial services shall be available only for the registered primary members.

7. अनुलग्न II में उल्लिखित सेवाएं आवश्यकताओं के आकलन, संसाधनों की उपलब्धता, स्रोत और पात्रता की शर्तें व उसी अवधि जिसके लिए आवेदन किया है, के अनुसार लागू होंगी ।
That the services as mentioned in the annexure II shall be subject to the needs assessment, availability of resources, applicability from the source and eligibility conditions as be applicable during the period of applying for the same.

8. सेवाओं की मात्रा, परिणाम और आवृत्ति, विवेकपूर्ण आवश्यकताओं, संसाधनों की उपलब्धता और सेवाओं का लाभ लेने के लिए सदस्यों के प्रयासों में स्थिरता या मिशन के नियंत्रण से परे अन्य कारकों पर निर्भर करेगी
That the quantum, magnitude and frequency of the services shall depend on the judicious needs, availability of resources and consistency in members' efforts to avail the services or any other factor (s) beyond the control of the Mission.

9. एक बार भुगतान किया गया सदस्यता शुल्क किसी भी स्थिति में वापसी योग्य नहीं होगा तथा सदस्यता वापसी, सदस्य के निर्णय के अनुसार, तीन वर्षों के बाद तीन महीने के नोटिस के साथ मिशन के प्रबंधन बोर्ड की स्वीकृति के बाद ही हो सकेगी । अन्य प्रावधान मिशन के उपनियमों के अनुसार लागू होंगे ।
The membership subscription once paid will not be refundable in any case. And the withdrawal of membership shall be applicable only after approval of the Management Board of the Mission by giving three months' notice after the period of atleat three years.

10. सदस्य का मिशन के विभिन्न सेवा उत्पादों, संचालनात्मक प्रक्रियों को समझने, अपनी राय या सुझाव देने तथा मिशन के विभिन्न मंचों में सक्रिय भागीदारी का विषेषाधिकार होगा तथा मिशन की परिभाषित सीमाओं के अधीन मिशन के प्रबन्धन दल का हिस्सा माना जाएगा ।
That the member shall have privilege to understand different service products, procedural steps, share opinions and suggestions and avail opportunities of active participation in different forums under Mission RIEV; hence shall be treated the part of the management team within the defined jurisdiction of the Mission.

11. सदस्य बनना, व्यक्ति या परिवार का, बिना किसी स्वार्थ के मिशन के उद्देष्यों को बढ़ावा देने के लिए किया गया स्वैच्छिक निर्णय है ।
That becoming member is a voluntary decision of the individual or the family to support and promote the objectives of the Mission without any expectations whatsoever in return.

12. सदस्यों को सेवा विशेष से सम्बंधित सरकार में या अन्य संगठन में आवेदन की प्रक्रिया के लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान अतिरिक्त करना होगा ।
The members will have to pay the charges for the process of application in Govt. or other organisation for any specific services as per applicability separately.

13. सदस्य का मिशन के लिए निरंतर सलाह और संरक्षण प्रदान करने का दायित्व होगा और यह सम्बन्ध किसी भी तरह से सेवा प्राप्तकर्ता तथा सेवा प्रदाता के रूप में नहीं आंका जायेगा । सदस्य किसी भी मामले में, जो मिशन के कार्य, कृत्य या प्रगति की कार्यप्रणाली को रोकते हैं, शामिल नहीं होंगे तथा सभी कानूनी जटिलताओं और मुुकद्दमों से मिशन के हितों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध होंगे । हालांकि, सभी कानूनी मामलों के निपटारे का विषेषाधिकार केवल शिमला में ही होगा ।

That the member shall have the obligation to keep on providing constant mentoring support and patronage to the Mission and this relationship shall never be treated as the relationship between service provider and service seeker. The member shall not get involved in any kind of the act, deed or action which hampers the progress and smooth functioning of the Mission. The member commits to safeguard the interest of the Mission and indemnify from all legal complications, losses and to be abstained from litigations; however, all the legal matters shall be subject to Shimla jurisdiction only.

14. सदस्यों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के लिए वे स्वयं जिम्मेवार होंगे।
The members shall be responsible for the information provided by them.

15. भविष्य में, सदस्य को सूचित करके या सूचना दिए बिना, नियम और शर्तों सहित सदस्यता में परिवर्तन या गुणात्मक संषोधन, कुछ जोड़ने और हटाने के लिए सदस्य की सहमती मानी जाएगी। सभी उद्देष्यों के लिए **मिशन** प्रबंधन का निर्णय अंतिम और सभी पर बाध्यकारी होगा ।
The member shall be in full agreement with the addition, deletion, modification, alteration or value addition in the modalities of the membership including terms & conditions in future, if any, with or without notification. The decision of the Mission Management shall be final and binding on all for all purposes.

16. सरकार या अन्य संगठन द्वारा सेवा विशेष आवेदन की प्रक्रिया में किसी भी देरी के लिए **मिशन** रीव जिम्मेदार नहीं होगा ।
Mission RIEV shall not be responsible for any delay in the process of any specific service application by Govt. or other organisation

17. सरकार या अन्य संगठन द्वारा सेवा-विशेष आवेदन की प्रक्रिया में किसी भी देरी के लिए मिशन रीव प्रबंधन जिम्मेवार नहीं होगा । क्योंकि मिशन की सेवाओं को प्रदान करने में कई अन्य बाहरी कारक भी होंगे, जिनका पूर्ण नियंत्रण मिशन के क्षेत्राधिकार में नहीं है, अत: गुणवता और निष्पादन के संबंध में किसी भी विवाद के कारण मिशन रीव प्रबंधन या कोई भी यहां दिए गए नियमो एव शर्तो में से किसी का उल्लंघन और हानी, क्षती, दावों, लागतों और खर्चो के विरुद्ध जो व्यय होगा, सदस्य मिशन प्रबंधन की क्षतिपूर्ति करेगा ।
The mission Management shall be responsible for any delay due to the procedural complexities of the government or any other concerned agency. As the delivery of many services may be dependent on certain external factors beyond the control of the Mission, the member shall indemnify and keep indemnified the Mission Management against any loss, damage, claims, costs and expenses which may be incurred or suffered by Mission RIEV Management due to any disputes in respect of quality and performance and / or any breach of any of the terms and conditions contained herein.

18. बाकी प्रावधान एमएससीएस अधिनियम 2002 और एमएससीएस संशोधन अधिनियम 2023 और उसके तहत बनाए गए नियमों के आलोक में सोसायटी के उपनियमों के प्रावधानानुसार लागू होंगे।
Rest of the provisions shall be as laid down in the bye-laws of the Society in light of the MSCS Act 2002 and MSCS Amendment Act 2023 and Rules framed thereunder.

मैंने सोसायटी की सदस्यता के नियमों और शर्तों को पढ़ लिया है और मैं उनका पालन करने की पुष्टि करता हूं। I have gone through the terms & conditions of the membership of the society and do hereby confirm to abide by the same.